



पत्र संख्या- 215/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-16.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 16.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01. थाना-मुबारकपुर:- ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाला वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 11 अभियुक्त पकड़े गये।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.06.2025 को आवेदक संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि ग्राम बम्हौर में राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह में लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दूसरे समुदाय के लड़कों

01. अबुजैद पुत्र भुल्लन, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

02. रहमान पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

03. वकाश पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

04. वसीम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

05. आलिम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

06. जुबैद पुत्र इफ्तेखार, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

07. वकार पुत्र महमूद, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

08. एहतेशाम पुत्र शब्बीर, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

09. अरबाज पुत्र कमालू, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

10. अरमान पुत्र कमालू, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

11. अरमान पुत्र जावेद, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

12. भुल्लन पुत्र आले हसन, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

13. सैफु पुत्र अज्ञात, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

14. नदीम पुत्र शमीम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

15. अरमान पुत्र अज्ञात, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

16. मोअज्जम पुत्र अब्दुल कय्युम ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

17. मोहम्मद जहीरू पुत्र जहीरूदीन निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

18. रहमान पुत्र स्व० बदरेआलम उर्फ हीटलर ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (ग्राम प्रधान) और उनके साथ के अन्य लड़के परछन में शामिल महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाने लगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए फब्तियाँ कसने लगे। जिसका विरोध करने पर उन लोगों द्वारा मारा-पीटा गया व जान से मारने की धमकी दिया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 228/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 125, 61(2) 74, 61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों

1. अबूजैद पुत्र मुस्तकीम, निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

2. अरमान पुत्र जावेद, निवासी बम्हौर, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

3. वसीम पुत्र शमीम निवासी बम्हौर, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

4. मो० मोअज्जम पुत्र अब्दुल कयूम, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

5. एहतेशाम पुत्र शब्बीर, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

6. 01 किशोर अपचारी (पुलिस अभिरक्षा)

7. रहमान पुत्र शमीम, निवासी बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

8. रहमान पुत्र स्व० बदरे, आलम उर्फ हिटलर, सा० बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.06.2025 को निहार नन्दन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.अरबाज पुत्र कमालू उर्फ कमालूदीन सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2.नदीम उर्फ नदीम शमीम शेख पुत्र शमीम सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 3.भुल्लन उर्फ मोहम्मद मुस्तकिन उर्फ पुत्र स्व0 आलेहसन उर्फ अली हसन सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को बम्हौर अण्डरपास के पास से समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.अरबाज पुत्र कमालू उर्फ कमालूदीन सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 2.नदीम उर्फ नदीम शमीम शेख पुत्र शमीम सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 3.भुल्लन उर्फ मोहम्मद मुस्तकिन उर्फ पुत्र स्व0 आलेहसन उर्फ अली हसन सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. धारा 3(5),115(2),352,351(3), 109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
02. हे0का0 विधि चन्द्र, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
03. का0 प्रवेश चौधरी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
04. म0का0 शिवानी सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।



थाना-सिधारी

दुष्कर्म के मामले में वांछित 15,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम सिधारी पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम आजमगढ़ द्वारा आज दिनांक 16.06.2025 को महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म करने, मारने पीटने, गाली गलौज तथा धमकी देने वाले 15000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 19.10.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्राप्त हुआ कि अभियुक्त 1. बाबूलाल पुत्र अज्ञात साकिन व थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष, 2. अशोक महतो पुत्र जगनरायन साकिन मैनाटाड़ बेलवा टोला, थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिम चम्पारन (बिहार) द्वारा वादिनी के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं विरोध करने पर गाली गुप्ता देना, मारना पीटना एवं जान से मारने की धमकी दिया गया के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 404/2024 धारा 376/323/504/506/452 भा0दं0वि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡दौराने विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय से दिनांक 29.04.2024 को गैरजमानतीय वारण्ट प्राप्त किया गया है।

➡ काफी तलाश व दबिश देने के बाद अभियुक्त दस्तेयाब नहीं हो रहा था और न ही मा0न्यायालय में हाजिर हो रहा था जिस पर दिनांक- 05.06.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/2024 धारा 376/323/504/506/452 भा0दं0वि0 से सम्बन्धित वांछित/फरार अभियुक्त अशोक महतो पुत्र जगनरायन साकिन मैनाटाड़ बेलवा टोला, थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिम चम्पारन (बिहार) की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 16.06.2025 को शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक सिधारी, चौकी प्रभारी मूसेपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह हे0कां0 मनोज कुमार यादव, कां0 चन्द्रेश कुमार, कां0 सुनील प्रजापति स्वाट टीम आजमगढ़, कां0 उमेश कुमार सर्विलांस सेल आजमगढ़ द्वारा रेलवे क्रासिंग मूसेपुर के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित/फरार 15000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त अशोक महतो पुत्र जगनरायन साकिन मैनाटाड़ बेलवाटोला, थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिम चम्पारन (बिहार) उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 06.10 बजे मुखबिर की सूचना पर हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अशोक कुमार महतो पुत्र जगनरायण महतो निवासी मैनाटाड़ बेलवाटोला, थाना मैनाटाड़, जनपद पश्चिमी चम्पारण, राज्य बिहार, उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 404/2024 धारा 376/323/504/506/452 भा0दं0वि0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
02. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
03. हे0कां0 मनोज कुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़
04. कां0 चन्द्रेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
05. कां0 सुनील प्रजापति स्वाट टीम आजमगढ़
06. कां0 उमेश कुमार सर्विलांस सेल आजमगढ़



03. थाना-मेंहनगर:- दहेज के प्रताड़ित करने वाला 01 अभियुक्त (पति) गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 29.05.2025 को वादिनी/पीड़िता द्वारा थाने पर आकर तहरीर दिया गया कि मेरी शादी दिनांक 7-12-2021 को मुलायम यादव पुत्र श्याम नारायण यादव सा0 रामपुर रमचनपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ के साथ हुई है, विवाह के कुछ दिनों उपरान्त प्रार्थिनी के पति मुलायम व ससुर श्याम नारायण, सास प्रेमशीला, देवर मनीष यादव ननद पूनम यादव द्वारा प्रार्थिनी से दहेज में रूपया 5 लाख की मांग करने लगे जब प्रार्थिनी ने अपने मायके की गरीबी का हवाला दिया तो सभी भद्दी-2 गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत अपने मायके में किया तो मामला उस समय शान्त हुआ। कुछ महीने उपरान्त फिर दहेज मांगने की प्रक्रिया दोहराते हुए उक्त लोगों द्वारा मारा-पीटा जाने गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 267/2025 धारा 85/115(2)/352/89 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम पति मुलायम, ससुर श्याम नारायण, सास प्रेमशीला, देवर मनीष यादव व ननद पूनम यादव समस्त निवासीगण रामपुर रमचनपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 16.06.2025 को उ0नि0 आमित यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुलायम पुत्र श्यामनारायण सा0 रामपुर रमचनपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़(पति) को जयनगर जिगनी तिराहे से समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मुलायम पुत्र श्यामनारायण सा0 रामपुर रमचनपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 267/2025 धारा 85/115(2)/352/89 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 आमित यादव थाना मेंहनगर, आजमगढ़

02. का0 सोनू यादव थाना मेंहनगर, आजमगढ़



04. थाना – अतरौलिया:- साइबर फ्राड के 12,368 रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 15.05.2025 को आवेदक जगदीश प्रसाद चौबे पुत्र बच्चाराम चौबे निवासी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपने खाते से 708/- रुपये कट जाने के बावत गूगल से कस्टमर केयर का नं0 पर बात करने व साइबर फ्राड हो जाने पर उनके खाते से कुल 32,473/-रुपये कट गये थे। आवेदक के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं 1930 पर शिकायत कर साईबर शिकायत संख्या 23105250072710 पंजीकृत कराया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये बैंक द्वारा आवेदक के खाते से कटे 12,368/- रुपये वापस आवेदक के खाते में करा दिया गया है।

➡ आवेदक जगदीश प्रसाद चौबे उपरोक्त के प्रा0पत्र/ साईबर कम्प्लेन के जांच के क्रम में कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ व हे0का0 मुकेश कुमार साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 12,368/- रुपये वापस कराया गया है।

पुलिस टीम:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड- ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 मुकेश कुमार साइबर सेल आजमगढ़।



थाना- (कोतवाली)

13 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा कब्जे से मालफड़ 13170 रु., 15 मोबाईल फोन बरामद।

05.थाना-कोतवाली:- जुआ खेलने वाले 13 नफर अभियुक्त 13,170 रु मालफड़ व 15 मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 15.06.2025 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्राम सरायमंदराज में हरैया के तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे गली में स्थित सुरेन्द्र चौहान के मकान में हार जीत की बाजी लगाकर बड़े पैमाने पर कई लोग जुआँ खेल रहे हैं। यदि जल्दी क्रिया जाये तो पकड़े जा सकते है, प्राप्त सूचना के आधार पर प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसादज पटेल, उ0नि0 उमेशचन्द यादव, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, कां0 अप्पू कुमार वर्मा, कां0 राजन कुमार, कां0 हीरालाल, कां0 सद्दाम, कां0 अखिलेश यादव, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 बसन्तलाल, कां0 रणवीर, कां0 विनय प्रसाद थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मौके से अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र चौहान पुत्र दामोदर चौहान निवासी एटलस टैंक कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष , 2. पवन कुमार पुत्र सुदर्शन राम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष , 3. दीपक गौड पुत्र त्रिभुवन राम निवासी कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष , 4. विशाल जायसवाल पुत्र

राजेश जायसवाल निवासी चांदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष, 5. नीरज प्रजापति पुत्र मुन्नीलाल प्रजापति निवासी कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, 6. शोभनाथ सैनी पुत्र कमलेश सौनी निवासी एटलस टैंक अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष, 7. राजकुमार प्रजापति पुत्र विनोद प्रजापति निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष, 8. इमरान पुत्र मुन्नू कुरैशी निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, 9. राशिद पुत्र इस्लाम निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष, 10. मोहम्मद युसूफ पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 11. खुशीचन्द पुत्र शिवकुमार निवासी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष, 12. अमित मौर्या पुत्र रामबचन मौर्या निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष, 13. विष्णू कुमार पुत्र शंकर राम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को समय 18.30 बजे सुरेन्द्र चौहान के मकान ग्राम सराय मंदराज से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कब्जे से 13,170 रूपया मालफड़, 820 रु. जामातलाशी, 02 तास की गड्डी, 14 अदद स्मार्ट फोन, 1 अदद की-पैड मोबाईल बरामद किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 3/ 4 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम पंजीकृत किया गया व इनके वाहनों का चालान एम वी एक्ट में किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सुरेन्द्र चौहान पुत्र दामोदर चौहान निवासी एटलस टैंक कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष,
2. पवन कुमार पुत्र सुदर्शन राम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष,
3. दीपक गौड पुत्र त्रिभुवन राम निवासी कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष,
4. विशाल जायसवाल पुत्र राजेश जायसवाल निवासी चांदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष,
5. नीरज प्रजापति पुत्र मुन्नीलाल प्रजापति निवासी कुण्डीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष,
6. शोभनाथ सैनी पुत्र कमलेश सौनी निवासी एटलस टैंक अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष,
7. राजकुमार प्रजापति पुत्र विनोद प्रजापति निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष,
8. इमरान पुत्र मुन्नू कुरैशी निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष,
9. राशिद पुत्र इस्लाम निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष,
10. मोहम्मद युसूफ पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष,
11. खुशीचन्द पुत्र शिवकुमार निवासी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष,
12. अमित मौर्या पुत्र रामबचन मौर्या निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष,
13. विष्णू कुमार पुत्र शंकर राम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. 13170 रूपया मालफड़
02. 820 रु. जामातलाशी
03. 02 तास की गड्डी
04. 14 अदद मोबाईल फोन

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 276/25 धारा 3/ 4 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़
02. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसादज पटेल थाना कोतवाली आजमगढ़
03. उ0नि0 उमेशचन्द यादव थाना कोतवाली आजमगढ़
04. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़
05. उ0नि0 यश सिंह पटेल थाना कोतवाली आजमगढ़
06. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़
07. हे0कां0 सर्वेश विक्रम थाना कोतवाली आजमगढ़
08. कां0 राजन कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़
09. कां0 हीरालाल थाना कोतवाली आजमगढ़
10. कां0 सद्दाम थाना कोतवाली आजमगढ़
11. कां0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़
12. कां0 अप्पू कुमार वर्मा थाना कोतवाली आजमगढ़
13. कां0 बसन्तलाल थाना कोतवाली आजमगढ़
14. कां0 रणवीर थाना कोतवाली आजमगढ़
15. कां0 विनय प्रसाद थाना कोतवाली आजमगढ़



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने आपराधिक (गोवध गैंग) से सम्बन्धित 01 गैंग के 03 सदस्यों को किया सूचीबद्ध

दिनांक- 16.06.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गोवध गैंग से सम्बन्धित 01 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें गोवध गैंग से 03 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

➡ पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

➡ 1- थाना फूलपुर: अभियुक्त नसीम पुत्र अंसार निवासी अंजान शहीद(डारीडीह) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र-52 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए एक गोवध करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। जिसका सदस्य 01. फूलेश अली पुत्र समशेर अली निवासी इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता अंजान शहीद(डारीडीह) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्ष 02. अबुकैश पुत्र सहाबुद्दीन निवासी पोटरिया थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता अंजान शहीद(डारीडीह) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष है। इसका कोड नं०- “डी- 262” होगा।

